In the Court of Mines Commissioner, Bihar, Patna

Dated 09.03.2018

Miscellaneous Case No – 21/2018
District – Gaya

PRESENT :- K.K. Pathak, I.A.S.,
Mines Commissioner

==

Mining Officer, Gaya
Vs.
M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.

==

09.03.2018 Whereas, the Mining Officer, Gaya has submitted his report dated 23.01.2018 regarding violation of terms & condition of Rules by the Settlee M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd. for the sand ghats of Gaya District.

Whereas, the report shows that an Inspection was done at Jamuawan sand ghats and Tarwan sand ghats, in which the following discrepancies were found, which were clear violation of the EC conditions as well as the Sand Policy 2013-

(A) No demarcation Pillars were established at the sand ghats which is a very serious violation as this allows the Settlee to go beyond his Mining Plan & undertake excavation of sand undetected.

(B) No Weigh bridges were established near the sand ghats which too is a serious lapse as per the Sand Policy 2013.

(C) Adequate No. of trees & plantations were not been found as required under the EC & Mine Plan Conditions.

(D) At the Sand excavation/dispatch points, the signboards had no proper entries.

Whereas, the report shows that the Settlee has violated terms and condition of New Sand Policy, 2013, and the conditions of the Environmental Clearance. Therefore, it is clear that the Settlee has violated Rule 21(A) of BMMC Rules, 1972 and Section 15 of Environmental Protection Act, 1986.

Whereas, for said violation, an FIR under the EP Act, 1986 & the BMMC Rules, 1972 was filed against the Settlee in Wazirganj Police Station on 23.01.2018.

Whereas, the Settlee has violated the EC conditions therefore, it is necessary to initiate proceedings against the said Settlee.

Therefore, in the terms of the powers vested in this Court under Rule 45 of BMMC Rules, 1972, I call upon the Settlee to show cause as to why his settlement be not cancelled.

The Settlee, therefore, is directed to submit his reply on or before 16.03.2018.

Let the notice be sent to the Settlee through MDO, Gaya.

Dictated & Corrected

Sd/-
(K.K. Pathak)
Mines Commissioner
Mines and Geology Department, Bihar

Sd/-
(K.K. Pathak)
Mines Commissioner
Mines and Geology Department, Bihar

Memo No.-....1319..../M, Patna, Dated-....10:3:18....

Copy to :-Collector, Gaya/ M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.,Mo.-Kailashpuri, Post-Banda, P.S.-Banda, Dist.-Banda, U.P./ Mining Officer, Gaya/I.T. Manager, Mines & Geology Dept. Patna for information and necessary action.

Under Secretary to Govt.

खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार, पटना

संख्या–1320/एम0, पटना, दिनांक–10.3.18

सेवा में,

M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.,Mo.-Kailashpuri,
Post-Banda, P.S.-Banda,
Dist.-Banda, U.P

Misc. Case. No.– 21/2018

खनन पदाधिकारी, गया — अर्जीदार

बनाम

मेसर्स वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0लि0 — प्रतिपक्ष।

महाशय,

निदेशानुसार इस वाद में दिनांक 09.03.2018 के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि 16.03.2018 को 5.00 बजे अपराह्न निर्धारित है।

अतः निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

न्यायालय खान आयुक्त के आदेश से,

सरकार के अवर सचिव

जिला खनन कार्यालय, गया

पत्रांक 201 /खनन, गया, दिनांक 23/01/18

प्रेषक,

सहायक निदेशक
खान एवं भूतत्व
गया।

सेवा में

खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— **गया जिलान्तर्गत पंचांग वर्ष (2015—19) के लिए वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा० लि० के पक्ष में बंदोबस्त बालूघाटों के संचालन में वरती गई अनियमितताओं के संबंध में प्रतिवेदन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत पंचांग वर्ष 2015—19 के लिए वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा० लि० के पक्ष में बंदोबस्त बालूघाटों के संचालन में वजीरगंज थानान्तर्गत मौजा—जमुआवा एवं तरवां में स्थित स्वीकृत जमुआवां बालूघाट एवं तरवां बालूघाट (रकवा क्रमश 7.0 हेक्टेयर एवं 5.0 हेक्टेयर) का स्थल निरीक्षण की जांच करायी गई है, जिसमें निम्नांकित अनियमिता पायी गई हैः—

1. बालूघाट क्षेत्र में सभी सीमास्तम्भ स्थापित एवं संधारित नहीं पाया गया है।
2. बालूघाट क्षेत्र के पास धर्मकांटा स्थापित एंव संचालित नहीं है।
3. बालूघाट के आस—पास पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
4. बालू निष्कासन/प्रेषण स्थल पर साईन बोर्ड लगा हुआ पाया गया परंतु स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ नही पाया गया।

उक्त बालूघाटों के निरीक्षण के दौरान नई बालू नीति 2013, SEIAA बिहार के पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का उल्लंधन पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 21(A) का उल्लधंन कर खनन कार्य किया गया है, जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की करायी गई है(छाया प्रति संलग्न)।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/1/2018

सहायक निदेशक
खान एवं भूतत्व
गया

जिला खनन कार्यालय, गया

पत्रांक ......3754 01....... / खनन, गया, दिनांक 22.01.18

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
वजीरगंज, गया।

विषयः– **वजीरगंज थाना अंतर्गत मौजा–जमुआवां बालूघाट एवं तरवां बालूघाट (रकवा क्रमश 7.0 हेक्टेयर एवं 5.0 हेक्टेयर) में बालू बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरण शर्तो का उल्लधंन के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वजीरगंज थानान्तर्गत मौजा–जमुआवां एवं तरवां में स्थित स्वीकृत बालूघाट (रकवा क्रमश 6.0 हेक्टेयर एवं 5.0 हेक्टेयर) का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में बालूघाट बंदोबस्ती के निम्नलिखित पर्यावरणीय शर्तो का उल्लधंन पाया गया कि:–

1. बालूघाट क्षेत्र में सीमास्तम्भ पाया गया परंतु नियमानुसार संधारित नहीं पाया गया।
2. बालूघाट क्षेत्र के पास धर्मकांटा स्थापित एवं संचालित नही है।
3. बालूघाट के आस–पास पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
4. बालू निष्कासन/प्रेषण स्थल पर साईन बोर्ड लगा हुआ पाया गया परंतु स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ नही पाया गया।

उक्त बालूघाटों के निरीक्षण के दौरान नई बालू नीति 2013, SEIAA बिहार के पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का उल्लंधन पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 21(A) का उल्लधंन कर खनन कार्य किया गया है।

अतः बंदोबस्तधारी कंपनी वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0लि0 के कंपनी के निदेशक श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता श्री देवेन्द्र मोहन सिंह, शिवम आपर्टमेंट, प्रथम तल, आनंदपुरी, पटना के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

22-01-2018

गवाहः– श्रीकांत सिंह, आशुटंटक
पिता–चंदेश्वर सिंह,
ग्राम–तीरा,थाना–हरनौत,
जिला–नालंदा

विश्वासभाजन

22/01/18
खान निरीक्षक,
गया।

धनंजय कुमार
पिता–सत्यनारायण प्रसाद,
ग्रा+पो0–चौरी, था0–दाउदनगर,
औरंगाबाद।
9155702195